भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3999
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

कृषि उपज के लिए शीतागार श्रृंखला अवसंरचना

3999. श्री शशांक मणि:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके किसानों को सहायता देने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि उपज के लिए शीतागार श्रृंखला संबंधी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों की आय में सुधार संबंधी इन पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास शीतागार श्रृंखला संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करके फसलों के नुकसान को कम करने के लिए सहायता बढ़ाने/वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) फसलोपरांत नुकसान में कमी, मूल्य संवर्धन में वृद्धि, किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए फसलोपरांत अवसंरचनाऔर प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई के तहत घटक स्कीमें हैं (i) मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपी स्कीम), जिसे 01.04.2021 से बंद कर दिया गया; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखलाऔर मूल्य संवर्धन अवसंरचना; (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना; (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, जिसे 01.04.2021 से बंद कर दिया गया (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार; और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इन घटक योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसलोपरांत नुकसान को न्यूनतम करने के लिए शीतागार भी शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना शुरू की है, ताकि फसलोपरांत अवसंरचना में सुधार हो और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां बनाई जा सकें। एआईएफ स्कीम बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा फसल अपशिष्ट को कम करने और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के उद्देश्य से शीत भंडारण सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मध्यम से लंबी अवधि के ऋणों की मंजूरी की सुविधा प्रदान करती है।

(ख) से (घ): पीएमकेएसवाई के तहत एकीकृत शीत श्रृंखलाऔर मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्कीम की परिकल्पना खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में की गई है। इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवसंरचना सुविधा अर्थात् खेत स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना , छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान शीतागार, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, गैर-बागवानी, बागवानी, मछली/समुद्री उत्पाद (झींगा को छोड़कर), डेयरी, मांस और पॉल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए मोबाइल कूलिंग इकाइयां का निर्माण शामिल है। एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्कीम मांग आधारित है तथा इस योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके पूरे देश में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। छोटे किसानों सहित व्यक्ति तथा एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियां आदि जैसी संस्थाएं/संगठन इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत आरंभ (2008) से कुल 399 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा दिनांक 31.10.2024 तक इनमें से 284 शीत श्रृंखला परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा इनका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है।

*****